

प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) के भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2007 (एफ0सी0, डिवीजन) दिनांक-05-02-2009 व संशोधित पत्र संख्या-एफ0एन0 5-3/2011-एफ0सी0 (Vol-1) दिनांक-06-01-2022 व दिनांक-19-01-2022 द्वारा वन भूमि के हस्तान्तरण/गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्धारित नेट प्रजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0) और बढ़ी दरों के अनुसार धनराशि को **राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग** द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) वन विभाग उत्तर प्रदेश को ई-पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।

21/6/22
Mr. Arun Kumar Singh
Executive Engineer
N.H. (District Engineer's Office)
PRAYAGRAJ
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ०प्र०
लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज